पत्रांक 194 /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांकः::देहरादूनः:: 12 अप्रैल, 2012

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर,(क0नि0)वाणिज्य कर
वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0) उत्तराखण्ड।

:–कार्यालय ज्ञापः–

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित (VAT) कर नियमावली 2005 के नियम 19 (एक)(ई) के अन्तर्गत विभाग को देय कर एवं अन्य कर भुगतान हेतु धनराशि ई पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जा सकती है। विभाग द्वारा व्यापारियो को नेट बैंकिंग के माध्यम से ई पेमेन्ट की सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है।
उक्त नियमावली के नियम 19 (9)(C) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के क्रम में विभाग में व्यापारियों द्वारा जमा किये जा रहे आनलाइन भुगतान हेतु निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती है।

1– व्यापारी विभागीय वेबसाईट www.comtax.uk.gov.in से अपने login ID एवं पासवर्ड से Login कर देय कर/अन्य देयों का भुगतान करेंगे।

2–प्रथम बार Login करने के पश्चात् व्यापारी को अपना PAN N0 e-mail id तथा मोबाइल न0– सम्बन्धित सूचनाएँ देने के पश्चात पासवर्ड बदलना होगा। भविष्य में नये पासवर्ड से ही व्यापारी द्वारा Login किया जा सकेगा।

3– वेबसाईट पर Login करने के उपरान्त व्यापारी को ई–पेमेन्ट Button को क्लिक करना होगा। उक्त क्लिक के पश्चात चालान का फार्म (VI) स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। चालान में आवश्यक विवरण यथा करनिर्धारण वर्ष, कर की अवधि, देय धनराशि का लेखा शीर्षक एवं देय धनराशि अंकित कर जिस बैंक से भुगतान करना है उस बैंक को Drop Down से सलेक्ट करना होगा।

4– बैंक सलेक्ट करने के पश्चात व्यापारी उस बैंक के पेमेन्ट gatway पर होगे तथा बैंक द्वारा इण्टरनेट बैंकिग हेतु आवंटित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग करके विभाग को देय धनराशि का भुगतान करेगा।

5– बैंक की साईट से सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने के उपरान्त बैंक द्वारा एक Reference id N0 दिया जायेगा जो पुनः विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध होगा। विभागीय वेबसाइट पर व्यापारी द्वारा चालान का प्रिन्ट लिया जा सकता है।

6– नेट बैंकिग से भुगतान करने के पश्चात विभागीय साइट पर वापस आते समय यदि किसी वजह से Transaction फेल हो जाता है और व्यापारी चालान प्रिन्ट नहीं कर सकता है तो बैंक द्वारा अगले कार्य दिवस को विभागीय वेबसाइट पर स्कोल अपलोड करने के उपरान्त चालान का प्रिन्ट आउट लिया जा सकता है।

7– अगले कार्य दिवस को स्कोल अपलोड होने के उपरान्त भी यदि Transaction पूरा नही होता है एवं व्यापारी का खाता डेबिट हो जाता है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क किया जाना चाहिए।

8– आनलाइन पेमेन्ट कलेक्ट कराने वाले बैंकर्स प्रतिदिन संग्रहित धनराशि अगले कार्य दिवस मे अपनी नोडल शाखा के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय स्थित शाखा के माध्यम से राज्य सरकार के खाते में स्थानान्तरित करेगी।

पेज–2

9– ई विधि से कर सग्रहित करने वाले बैंक सग्रहित धनराशि का स्कोल पूर्व निर्धारित कोमा सेपरेटेड प्रारूप पर वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट www.comtax.uk.gov.in एवं कोषागार की वेबासाइट www.ekosh.uk.gov.in पर नियमित रूप से अपलोड करेंगे। दोनो वेबसाइट पर स्कोल अपलोड करने हेतु आई0डी0 एवं पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

10– आनलाइन कर सग्रंहित करने वाले बैंकर्स प्रतिदिन के Transaction के स्कोल की हार्ड कॉपी बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा को अगले कार्य दिवस में उपलब्ध करायेंगे एवं सचिवालय शाखा साईबर ट्रेजरी को दैनिक स्कोल के साथ राज्य के खाते में लेखांकन हेतु उपलब्ध करायेगा।

11– ई– विधि से सग्रहित धनराशि के चालान की प्रति स्कोल के साथ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी।

12– विभागीय अधिकारी अपने आवंटित आई0डी0 एवं पासवर्ड से अपने क्षेत्र से सम्बन्धित व्यापारियों की ई भुगतान की स्थिति को देख सकते है। किसी भी चालान का प्रिन्ट आउट ले सकते है। विभागीय वेबसाइट पर ई पैमेन्ट से सम्बन्ध में उपलब्ध विवरण का उपयोग व्यापारी के कर निर्धारण, कर वापसी एवं अन्य प्रकियाओ में किया जायेगा, इसके लिये किसी verification या चालान प्राप्त करने की आवश्यकता नही है।

13– विभिन्न बैंको के माध्यम से सग्रंहित ई पेमेन्ट का लेखांकन साइबर ट्रेजरी देहरादून स्तर पर किया जायेगा। मुख्यालय स्थित संग्रह अनुभाग वेबसाइट पर विभिन्न बैंको द्वारा दैनिक रूप से अपलोड किये जा रहे स्कोल का मिलान कोषागार स्तर पर किये जा रहे लेखांकन से मासिक रूप से करेंगे। इस कार्य हेतु इनको एन0आई0सी0 द्वारा पृथक से यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड आवंटित किया जायेगा।

14– व्यापारियों एवं विभागीय अधिकारियों की सुविधा हेतु उनके Login ID में पूर्व में आनलाइन किये गये भुगतान का विवरण चालान हिस्ट्री लिंक पर उपलब्ध है। इसके द्वारा पूर्व में जमा किये गये धनराशि की पुष्टि की जा सकती है एवं चालान की प्रति भी प्रिन्ट की जा सकती है।

15– व्यापारी को ई–पेमेन्ट विधि से कर जमा करने पर उसका चालान विभाग को उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं होगी। केवल चालान नं0 का उल्लेख किया जाना ही पर्याप्त है।

16– ई–पेमेन्ट विधि से भुगतान करने के लिए यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड का उपयोग किया जायेगा। अतः पासवर्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रयोगकर्ता की होगी। पासवर्ड की वजह से हुई किसी क्षति हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

(राधा रतूडी)
आयुक्त कर,
उत्तरांखण्ड।

पृ0प0सं0 194 /दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महालेखाकार,उत्तराखंड वैभव पैलेस इन्द्रानगर,देहरादून।
3. अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून / हल्द्वानी।
4. एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून / कुमायूँ जोन,रूद्रपुर।
5. एडिशनल कमिश्नर(आडिट / प्रवर्तन)वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून।
6. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस